भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1408

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

स्वतंत्रता – सेनानियों को पेंशन

1408. श्री श्यामा चरण गुप्त:
श्री भरत सिंह:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा पात्र आश्रितों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) उक्त स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन प्रदान करने संबंधी प्राप्त आवेदनों/लंबित/अस्वीकृत किए गए आवेदनों की राज्-वार/संघ राज्य-वार संख्या कितनी है तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और सभी लंबित आवेदनों के निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) स्वतंत्रता सेनानी परिवार पेंशन के ऐसे मामलों की संख्या बिहार सहित राज्य-वार कितनी है जिनमें बकाया राशि का भुगतान अभी शेष है और उक्त मामलों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा पात्र आश्रितों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का उक्त व्यक्तियों के लिये पेंशन तथा सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क): उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लगभग 38,669 स्वतंत्रता सेनानी/उनके पात्र आश्रित केन्द्रीय सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

…..2/-

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1408</u>

(ख)और(ग): पेंशन की संस्वीकृति अथवा परिवार पेंशन की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में हर दृष्टि से पूर्ण और संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत कोई भी आवेदन लंबित नहीं हैं।

(घ): पेंशन के अतिरिक्त, स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों को अनुबंध मे उल्लिखित अनुसार, विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

(ड.): वर्तमान समय में, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1980 का विस्तार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

<u>अनुलग्नक का पृष्ठ-1</u>
<u>लो.स.अ.प्र.सं.1408 दिनांक: 02/12/2014</u>

<u>स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सुविधाएं:</u>

(i) स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ राजधानी में एसी-।। टायर, शताब्दी ट्रेनों में चेयर कार और अन्य सभी ट्रेनों में प्रथम श्रेणी/एसी स्लीपर का आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास।

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंणाधीन पी एस यू द्वारा संचालित अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. सुविधाएं भी दी गई हैं।

(iii) स्थापना प्रभार के बगैर और केवल आधा किराया के भुगतान पर उपलब्धता के अध्यधीन टेलीफोन कनेक्शन।

(iv) पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों आदि के आबंटन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में "स्वतंत्रता सेनानी" श्रेणी के अंतर्गत 2% आरक्षण का प्रावधान।

(v) दिल्ली में रह रहे स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल रिहायशी आवास (समग्रत: 5% विवेकाधीन कोटा के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद छह माह तक आवास को रखने की अनुमति है।

(vi) स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों को ट्रांजिट आवास मुहैया कराने के लिए नई दिल्ली में एक स्वतंत्रता सेनानी गृह है।

(vii) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व-अण्डमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह घूमने के लिए एक साथी के साथ वर्ष में एक बार नि:शुल्क हवाई यात्रा की सुविधा।

*****